

उत्तराखण्ड सीड्स एण्ड तराई डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि०,  
पंतनगर, पो०- हल्दी, जनपद-ऊधम सिंह नगर।



निगम के कर्मचारियों को भवन निर्माण/क्रय करने हेतु  
अग्रिम दिये जाने सम्बन्धी  
नियमावली 1995

निगम के निदेशक मण्डल की 148वीं बैठक दिनांक 20 मार्च, 1995 में भवन निर्माण/क्रय करने के सम्बन्ध में अग्रिम स्वीकृत किये जाने सम्बन्धी नियमावली

भवन निर्माण/क्रय के लिये अग्रिम स्वीकृत किये जाने सम्बन्धी नियमावली

नाम और प्रारम्भ	(एक) इस नियमावली को उत्तराखण्ड सीड्स एण्ड टी0डी0सी0 लि0 भवन निर्माण/क्रय करने के लिये दिये जाने वाले अग्रिम के रूप में जाना जायेगा। (दो) यह दिनांक 20 मार्च, 1995 से प्रवृत्त होगी।
पात्रता	यह नियमावली निगम में निम्नलिखित के अतिरिक्त समस्त कर्मचारियों पर लागू होगी : (1) वे कर्मचारी जो अनियत रूप से सेवायोजित हों या जिन्हें दैनिक वेतन /तदर्थ रूप में वेतन भुगतान किया जाता हो। (2) कोई सरकारी सेवक जो निगम में प्रतिनियुक्ति पर हो। (3) वे कर्मचारी जिनकी सेवायें निगम में 05 वर्ष की पूर्ण न हुयी हों।
निगम	निगम का तात्पर्य उत्तराखण्ड सीड्स एण्ड टी0डी0सी0 लि0 से है।
अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक	का तात्पर्य उत्तराखण्ड सीड्स एण्ड टी0डी0सी0 लि0 के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक से है।
सक्षम प्राधिकारी	का तात्पर्य निदेशक मण्डल द्वारा किसी सामान्य या विशिष्ट नियम या आदेश द्वारा उस नियम या आदेश में विनिर्दिष्ट कार्यों को करने या शक्तियों का प्रयोग करने के लिये सशक्त प्राधिकारी से है।
कर्मचारी	का तात्पर्य निगम में कार्यरत नियमित/स्थाई कर्मचारी से है। निगम में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारी निगम का नियमित कर्मचारी नहीं होगा।
सरकार	का तात्पर्य उत्तराखण्ड राज्य सरकार से है।
परिवार	(1) यथास्थिति कर्मचारी की पत्नी या पति चाहे वह उसके साथ निवास करता हो या नहीं। किन्तु डिक्री या किसी सक्षम न्यायालय के आदेश द्वारा कर्मचारी से पृथक कर दी गयी पत्नी या पति जैसे भी स्थिति हो, सम्मिलित नहीं है।
वेतन	का तात्पर्य मूल वेतन से है।
कर्मकार	का तात्पर्य औद्योगिक निकाय अधिनियम 1947 में यथा परिभाषित व्यक्ति से है।
1. सामान्य	निगम में कार्यरत कर्मचारियों को वर्गीकरण (तृतीय वेतन आयोग की संस्तुति के अनुसार)
	<u>समूह</u> <u>वेतनमान</u>
	"क" 3100 पुनरीक्षित वेतनमान रू0 15600-39100 ग्रेड पे 6600 या उससे ऊपर के वेतनमान
	"ख" 2200-4000 पुनरीक्षित वेतनमान 15600-39100 ग्रेड पे रू0 5400 के वेतनमान

"ग"	950-1500 से 2120-3600 पुनरीक्षित वेतनमान रू0 5200-20200 ग्रेड पे रू0 1900 से वेतनमान रू0 9300-34800 ग्रेड पे रू0 4200 या उससे कम के वेतनमान
"घ"	775/- से ऊपर 950-1500 पुनरीक्षित वेतनमान रू0 5200-20200 ग्रेड पे रू0 1800 से ऊपर पुनरीक्षित वेतनमान रू0 5200-20200 ग्रेड पे रू0 1900 से कम के वेतनमान

निगम में विभिन्न समूह के अधिकारियों/कर्मचारियों को भवन अग्रिम सुविधा निम्न आधार पर आबंटित धनराशि से उपलब्ध होगी।

<u>समूह</u>	<u>आबंटित धनराशि का प्रतिशत</u>
"क"	30 %
"ख"	10 %
"ग"	35 %
"घ"	25 %
	<u>100%</u>

## 2. वरीयता

अधिकारियों/कर्मचारियों को उपरोक्त सुविधा प्रदान करते समय उन अधिकारी/कर्मचारी जो वरीयता के पात्र होंगे जिनका सेवानिवृत्ति समय निकट होगा तथा जिन्होंने परिवार नियोजन नियम का पालन किया हो एवं जिसके भूखण्ड आवास भवन निर्माण विभिन्न सरकारी/सहकारी योजना की परिधि में आते हों।

## 3. अग्रिम भुगतान की परिसीमा

- (1) आवास भवन निर्माण सम्बन्धी प्रत्याभूति मकान/सम्पत्ति साधारण रेहन (मार्टगेज) करने पर संलग्न अनुबन्ध एवं परिशिष्ट "ए" पर सौ रूपये के नान ज्युडिशियल स्टैम्प पेपर पर करने के उपरान्त ही किया जायेगा।
- (2) समूह "घ" के कर्मचारियों को भवन निर्माण/क्रय हेतु अग्रिम उनके मासिक वेतन का 48 गुना या रूपये 40,000/- जो भी कम हो इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत किया जा सकता है कि इसकी वसूली 192 किशतों में या सेवानिवृत्ति की तिथि से तीन माह पूर्व जो भी कम हो, मासिक किशतों में वेतन से की जायेगी।
- (3) समूह 'ग' के कर्मचारियों को भवन निर्माण/क्रय हेतु अग्रिम उनके मासिक वेतन का 42 गुना या 1.25 लाख (एक लाख पच्चीस हजार रूपये) जो भी कम हो, इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत किया जा सकता है कि इसकी वसूली 168 किशतों में या सेवानिवृत्ति की तिथि से तीन माह पूर्व जो भी कम हो, मासिक किशतों में वेतन से की जायेगी।
- (4) समूह 'ख' के कर्मचारियों को भवन निर्माण/क्रय हेतु अग्रिम उनके मासिक वेतन के 40 गुना या रूपये 1.50 लाख मात्र जो भी कम हो, इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत किया जा सकता है कि इसकी वसूली 150 किशतों में या सेवानिवृत्ति की तिथि से तीन माह पूर्व जो भी कम हो, मासिक किशतों में की जायेगी।
- (5) समूह 'क' के कर्मचारियों को भवन निर्माण/क्रय हेतु अग्रिम उनके मासिक वेतन के 38 गुना या रू0 3.00 लाख जो भी कम हो, इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत किया जा सकता है कि इसकी वसूली 145 किस्त में या सेवानिवृत्ति की तिथि से तीन माह पूर्व जो भी कम हो, मासिक किस्तों में की जायेगी।
- (6) कर्मचारी को अग्रिम सेवा काल में एक बार ही दिया जायेगा।

4. ब्याज की दर निगम द्वारा कर्मचारियों को भवन निर्माण/क्रय हेतु प्राप्त किये गये अग्रिम की तिथि से 14 प्रतिशत की दर से वार्षिक ब्याज देय होगा किन्तु कर्मचारियों द्वारा समय से या समय से पूर्व लिये गये ऋण की अदायगी पर ब्याज की दर में 4 प्रतिशत की दर से छूट दी जायेगी। ब्याज की गणना अन्तिम किश्त अदा करने की तिथि से पुनः 20 समान किश्तों में या इससे पूर्व की जायेगी।
  5. भवन निर्माण/क्रय के लिये अग्रिम प्राप्त करने के लिये प्रपत्र कर्मचारियों द्वारा निर्धारित प्रपत्र के अर्न्तगत आवेदन करने पर ही अग्रिम स्वीकृत करने हेतु विचार किया जायेगा। (परिशिष्ट "बी")
  6. विशेष निगम के कर्मचारियों को भवन निर्माण/क्रय करने के लिये अग्रिम स्वीकृत करने या न करने अथवा नियमों में शिथिलता प्रदान करने का अधिकार प्रबन्ध निदेशक में ही निहित होगी।
-

THIS DEED OF SIMPLE MONTAGE IS MADE THE ..... day of  
..... Between .....  
..... aged ..... (hereinafter called the Mortgager) of the one part and  
..... aged ..... (hereinafter called the  
Mortgagee) of the other part, witnesses that in consideration of the sum of Rupees  
..... (Rs ..... ) only paid by the said  
..... to the said ..... receipt whereof the said .....  
..... hereby acknowledges, the said .....  
..... as beneficial owner hereby transfers upto the mortgagee by way of.

**Conveyancing precedents and forms**

Simple Mortgage all ..... (here describe the property by giving its  
situation, etc.) more specifically described in the schedule hereto and shown in red in the site plan  
attached AND IT IS HEREBY AGREED AND DECLARED that if the said sum Rupees  
..... (Rs ..... ) only, with interest thereon  
at the rate of ..... percent per annum, shall not be paid within the period of  
..... years ending with the ..... day of ..... according to the  
covenants herein agreed in that behalf it shall be lawfull for the mortgagee, his heirs, executor,

administrators or assigned, at any time or times have the said messuages and premises sold and with and out of the moneys so ..... from such sale as aforesaid, have his mortgage amount, interest and costs paid, and should the sale not realise the sum due upon the mortgage the Mortgager bereby covenants with the Mortgages that he the Mortgager will pay to the Mortgagee any sum found or remaining due over the above the amount realised by the sale, **IT IS FURTHER DECLARED** that the said Mortgager has the power and right to effect this mortgager and the property bereby given in mortgage is neither charged for the payment of any money nor encumbered in any other manner what so ever.

**IN WITNESS WHEREOF** the said .....  
..... and ..... have hereto signed at  
..... the day and the year first above mentioned.

witnesses :

1. .... Signature Mortgager
2. .... Signature Mortgagee.

उत्तराखण्ड सीड्स एण्ड तराई डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि०,  
पंतनगर, पो०- हल्दी, जनपद-ऊधम सिंह नगर।

परिशिष्ट "ब"

भवन निर्माण/क्रय अग्रिम हेतु आवेदन पत्र

1. आवेदन का नाम (पूरा स्पष्ट अक्षरों में) .....
2. पिता/पति का नाम .....
3. जन्मतिथि.....
4. निवास : ग्राम .....
- पत्रालय .....
- थाना .....
- जिला .....
- प्रदेश .....
5. अविवाहित/विवाहित/तलाकशुदा .....
- विधवा/विधुर है, बतायें
6. आश्रितों की संख्या .....
7. वर्तमान मासिक वेतन .....
8. अपेक्षित ऋण की धनराशि.....
9. ऋण का उद्देश्य :  
भवन गृह निर्माण या भूखण्ड/भवन क्रय .....
10. निर्माण/क्रय मूल की लागत .....
11. पुर्नअदायगीकी अवधि .....
12. बन्धक रखे जाने हेतु प्रस्तावित भू सम्पत्ति .....
- का पूरा पता एवं माप एवं क्रय दिनांक आदि .....
- का पूर्ण विवरण : .....
- (अ) भू-सम्पत्ति का पूरा पता .....
- (ब) नगरपालिका क्रम .....
- (स) पैमाइश क्रम .....
- (द) क्या आप सम्पत्ति के अलग से मालिक है ?
- (य) भूखण्ड क्षेत्र .....
- (र) क्रय की तिथि .....
- (ल) विक्रेता का नाम एवं पूरा पता .....
- .....
- .....

घोषणा

मैं/हम ..... पुत्र/पत्नी .....

आवेदक एतद्द्वारा घोषणा करता/करती/करते हैं कि उक्त कथन और तथ्य हर प्रकार